बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph

अध्यक्ष (के० एन० शर्मा)

वैद्यनाथ प्रसाद

(बी. एन. प्रसाद)

महासचिव

विपिन कुमार सिन्हा

(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष

अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)

महासचिव : 2286093 (R)

उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)

कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष

कृष्ण मुरारी शर्मा

अर्जुन प्रसाद

संयुक्त सचिव

सहादत हसन मन्टू

रजनीश कुमार सिंह

कोषाध्यक्ष

महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या 12 दिनांक 29-7-05

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल महोदय,
बिहार सरकार ।

विषय: बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को हो रही कठिनाईयों एवं मॉगो के सम्बन्ध में स्मार पत्र ।

महोदय,

इस पत्र के माध्यम से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को हो रही कठिनाईयों एवं मॉगो के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करने की अनुमति चाहता हूँ ।

आप सहमत होंगे कि बिहार प्रशासनिक सेवा राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता की सेवा है । इस सेवा के पदाधिकारी प्रखण्ड/अंचल स्तर से सचिवालय स्तर तथा विभिन्न विभागों एवं विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर पदस्थापित है । हमारे पदाधिकारी विधि व्यवस्था संधारण से लेकर विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी है, फिर भी इनकी स्थिति क्षेत्र से लेकर उच्चतर स्तर पर बदतर होती जा रही है । प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय से लेकर जिला स्तर तक कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को न आवास की सुविधा सही ढंग से उपलब्ध है औ न उनकी सुरक्षा की कोई गरांटी है । उनकी सुविधा की यह स्थित है कि बार-बार सरकार के द्वारा निर्गत परिपत्रों के बावजूद बिहार के सभी अंचलों में अब तक अंचल गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं किया गया है, और न ही उन्हें अलग से कोई सुरक्षा के लिए अंगरक्षक उपलब्ध कराया गया । उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में इनकी स्थिति और भी बदतर है ।

बिहार के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर बैठ कर आप स्वंय विचार कर सकते है कि हमारे प्रखण्ड/अंचल एवं अनुमंडल में पदस्थापित पदाधिकारी बिना वाहन/आवास/सुरक्षा के किस प्रकार अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे है ।

महोदय ! वर्षो से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों से सम्बन्धित निम्नलिखित मॉगो के प्रति हम आपका ध्यान आकृष्ट करते रहे है, परन्तु अब तक इस दिशा में कोई समुचित कार्रवाई नहीं की जा सकी । आशा ही नहीं संघ को पूर्ण विश्वास है कि हमारी मॉगो के प्रति आपका साकारात्मक रूख होगा और इसकी पूर्ति के लिय आप प्रभावकारी कार्रवाई करने हेतु आदेश देंगे ।

1. **<u>बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को 8000-13500/- रू० का वेतनमान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे।</u>**

आप सहमत है कि बिहार प्रशासनिक सेवा राज्य सरकारी प्रथम प्राथमिकता की सेवा है । पूर्व में बिहार असैनिक सेवा में दो शाखायें थी (1) कार्यपालिका तथा (2) न्यायपालिका शाखा । दोनों शाखाओं का वेतनमान समान था परन्तु अब तो बिहार न्यायिक सेवा का वेतनमान 9000-14500/- रू० का हो गया है परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सचिवालय प्रशाखा पदाधिकारी के समतुल्य 6500-10500 का वेतनमान दिया गया है ।

प्रथम एवं द्वितीय वेतन पुनरीक्षण समिति में बिहार प्रशासनिक सेवा को अन्य सेवा से विशिष्ट वेतनमान प्राप्त था । तृतीय एवं चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति में इस सेवा के वेतनमान को अन्य राजकीय सेवा के वेतनमान के अनुरूप कर दिया गया । चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति में बिहार प्रशासनिक सेवा को 2200-4000/- रू० का वेतनमान प्राप्त था । इस वेतनमान वाले केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों को 8000-13500/- रू० का

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph

अध्यक्ष (के० एन० शर्मा)

बैद्यनाथ प्रसाद

(बी. एन. प्रसाद)

महासचिव

विपिन कुमार सिन्हा

(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष

अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)

महासचिव : 2286093 (R)

उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)

कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष

कृष्ण मुरारी शर्मा

अर्जुन प्रसाद

संयुक्त सचिव

सहादत हसन मन्टू

रजनीश कुमार सिंह

कोषाध्यक्ष

महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या

दिनांक

वेतनमान दिया गया । यहाँ तक कि वरीय लेखा पदाधिकारी एवं वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी जो ग्रुप "बी" की सेवा के है, उन्हें भी 8000–13500/– रूव का वेतनमान दिया गया, परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को एक क्रम नीचे यानि 6500–10500/– रू0 का वेतनमान निर्धारित कर दिया गया है । उल्लेखनीय है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को वेतनमान बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य में 8000–13500 का प्राप्त है ।

यहाँ तक कि कृषि विश्वविधालयों के व्याख्याताओं एवं कुछ गिने–चुने विद्यालयों के शिक्षकों को भी 8000–13500/– रू0 का वेतनमान प्राप्त है ।

उपरोक्त परिस्थिति में " संघ" की माँग है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को भी 8000–13500/– रू0 को वेतनमान उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

2. <u>प्रोन्नति</u>

वर्ष 1999 के बाद, 5 वर्षो तक स्टैगनेशन की स्थिति झेलने के बाद वर्ष 2004–2005 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रोन्नति दी गयी, परन्तु अब तक 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा पूरा कर लेने के उपरान्त ए0सी0पी0 का लाभ बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को नहीं मिल पाया हैं । वर्ष 2005 में प्रोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्त पदों को भरने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई है । टाईम स्केल का भी लाभ प्राप्त नहीं है ।

5 वर्षो के विलम्ब के बाद प्रोन्नति मिलने के उपरान्त कालावधि पूरा नहीं किये जाने के कारण निदेशक के 3 पद अब दो वर्ष तक रिक्त रहेंगे । अगर कालावधि झांत कर ये तीनों पद नहीं भरे जाते है तो बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीयतम तीन पदाधिकारियों को इसका लाभ नहीं मिल पायेगा । "संघ" यह माँग करती है कि कालावधि झांत कर प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों को सरकार शीध्र भरने की कार्रवाई करें और रिक्ति की तिथि से प्रोन्नति दें क्योंकि विलम्ब से प्रोन्नति दिय जाने में पदाधिकारियों का कोई दोष नहीं है ।

3. <u>विशेष सचिव/ अपर सचिव के पदों को पुर्नस्थापित करने के सम्बन्ध में</u>

अविभाजित बिहार में कुल 6 पद विशेष सचिव एवं 11 पद अपर सचिव का बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को अनुमान्य था । इस प्रकार बिहार विभाजन के फलस्वरूप 8 पद अपर सचिव और 4 पद विशेष सचिव को राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए । यह पद पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति के वेतनमान लागू होने के उपरान्त समाप्त कर दिया गया, जिसका कोई औचित्य नहीं । विदित हो कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को 28 से 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरान्त भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दी जाती है । भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों की संख्या हर बैच में काफी कम है । इस प्रकार इस सेवा के ज्यादातर पदाधिकारी संयुक्त सचिव से उपर प्रोन्नति नहीं पाते है । इनके मनोबल को रखने के लिए विशेष सचिव/ अपर सचिव के पद बिहार सरकार द्वारा सृजित किया गया था परन्तु इसे भी समाप्त कर दिया गया । "संध" यह मांग करती है कि विशेष सचिव के 4 पद और अपर सचिव के 8 पद पुनर्जीवित किये जाये । झारखंड जैसे राज्य में भी विशेष सचिव के 6 पद और अपर सचिव के 12 पद सृजित किये गये हैं ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph

अध्यक्ष (के० एस० शर्मा)

वैद्यनाथ प्रसाद

(बी. एन. प्रसाद)

महासचिव

विपिन कुमार सिन्हा

(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष

अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)

महासचिव : 2286093 (R)

उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)

कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष

कृष्ण मुरारी शर्मा

अर्जुन प्रसाद

संयुक्त सचिव

सहादत हसन मन्टू

रजनीश कुमार सिंह

कोषाध्यक्ष

महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या — दिनांक

4. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1996 के तहत प्रत्येक तीन वर्षो में कैडर रिभीयू की व्यवस्था है । इसके लिए एक समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित है । इस समिति की अनुशंसा पर ही इस सेवा के सभी स्तर के पदों का पुनरीक्षण किया जा सकता है । "संध" यह मांग करती है कि संयुक्त सचिव/ अपर जिला दण्डाधिकारी/ अवर सचिव/ अनुमंडलीय स्तर के सभी छूटे हुए पदों को चिन्हित कर पदाधिकारियों की प्रोन्नति उन पदों पर सरकार करें । इस हेतु सरकार एक बैठक शीध्र बुलाए ।

5. <u>बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना</u>

राज्य हित एवं प्रशासनिक हित में "संध" यह मांग करती है कि सरकार सभी जिलों/ अनुमंडलो/ प्रखंडों एवं अंचलों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए आवास/ कार्यालय भवन/ वाहन एवं सुरक्षा उपलब्ध कराये जिससे कि राज्य का विकास त्वरित गति से हो सके और पदाधिकारियों को मनोबल भी ऊँचा रहे ।

6. <u>कठिन कर्त्तव्य भत्ता में बढ़ोत्तरी</u>

वर्ष 1980 से बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड के पदाधिकारियों को 75/-रू0 प्रतिमाह एवं वरीय पदाधिकारियों, जो प्रखंड/ अंचल/ अनुमंडल एवं जिलों में पदाधिकारियों को 100/- रू0 प्रतिमाह के दर से स्वीकृत किया गया था । 25 वर्षो के बाद भी अभी तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है ।

अतः सरकार को इसमें अनुपातिक बढ़ोत्तरी करना चाहिए ।

महामहिम राज्यपाल महोदय, आप सहमत होंगे कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का कार्य दुर्गम क्षेत्रों में कितना कठिन है और उनकी जिम्मेदारी कितनी गुरूत्तर है । ये विकास की रीढ़ है । इनके भरपूर सहयोग के बिना राज्य के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती । आशा है कि आप हमारी मांग पर शीध्र विचार करते हुए हमसे वार्त्ता हेतु तिथि का निर्धारण करेंगे और शीध्र ही इनके कार्यान्वयन पर अमल करने हेतु सम्बन्धित विभाग को आदेश निर्गत करेंगे ।

(विपिन कुमार सिन्हा) 29/7/05
महासचिव

(कृष्ण मुरारी शर्मा) 29/7/05
कार्यकारी अध्यक्ष

ज्ञापांक 12 / पटना, दिनांक- 29/7/05

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(विपिन कुमार सिन्हा) 29/7/05
महासचिव

ज्ञापांक 12 / पटना, दिनांक- 29/7/05

प्रतिलिपिः- सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग एवं गृह विभाग को सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(विपिन कुमार सिन्हा) 29/7/05

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

8000–13500 का वेतनमान क्यों

1– वर्ष–1947 से वर्ष–1964 तक

क– बिहार प्रशासनिक सेवा – 220–800

ख– अन्य सेवा – 220–760

2– प्रथम वेतन पुनर्रीक्षित–

क– बिहार प्रशासनिक सेवा – 285–900

ख– अन्य सेवा – 285–850

3– द्वितीय वेतन पुनर्रीक्षित–

क– बिहार प्रशासनिक सेवा – 325–985

ख– अन्य सेवा – 325–925

4– तृतीय वेतन पुनर्रीक्षित – 510–1155

5– चतुर्थ वेतन पुनर्रीक्षित – 2200–4000

6– पंचम वेतन पुनर्रीक्षित–

क– 8000–13500 के बदले 6500–10500 दिया गया।

7– बिहार सिविल सेवा–

(i) कार्यपालिका शाखा–

(बिहार प्रशासनिक सेवा – 6500–10500)

(ii) न्यायपालिका शाखा – 9000–14500

8– उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगला एवं राजस्थान सहित अन्य राज्यों में बेसिक ग्रेड– 8000–13500.

9– फिटमेंट कमिटि कि यह अनुशंसा है कि अगर बिहार प्रशासनिक सेवा का संवर्ग बल (कैडर स्टैंथ) घटाने पर 8000–13500 के वेतनमान।

10– केन्द्रीय सेवा के ग्रुप "बी" के सिनियर एकाउन्टस ऑफिसर, सिनियर ऑडिट ऑफिसर को 8000–13500 का वेतनमान।

11– 6500–10500 का वेतनमान सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया।

12– राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के व्याख्यता का वेतनमान–8000–13500 (पूर्व का वेतनमान–2200–4000.

अधिसूचना संलग्न।

28/8/05

महासचिव,

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ